भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2927

मंगलवार, 18 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

"व्यवसाय करने में सुगमता" का लागू किया जाना

2927. मोहम्मद रकीबुल हुसैनः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश के प्रत्येक जिले में "व्यवसाय करने में सुगमता" लाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यनीतियां अपनाई जाएंगी;

(ग) क्या "व्यवसाय करने में सुगमता" के लागू होने से लेकर अब तक कोई सकारात्मक परिणाम दिखाई दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): वर्ष 2014 से भारत सरकार, देशभर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वातावरण में सुधार करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। केंद्र सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रमुख कार्यक्रम के तहत कई पहलें शुरू की हैं, जिसमें व्यवसाय सुधार कार्य योजना (बीआरएपी), बिजनेस-रेडी मूल्यांकन, जन विश्वास और कारोबारों व नागरिकों के लिए अनुपालन बोझ को कम करना शामिल है। सरकार ने विनियामक लागत (सीओआर) कार्यक्रम भी संचालित किया है, जिसका उद्देश्य सेवाओं के लिए प्रशासनिक लागत के संदर्भ में समस्या बिन्दुओं से जुड़े क्षेत्रों की पहचान करना और उनमें सुधार करना है।

विनियामक अनुपालन बोझ (आरसीबी) पहल के अंतर्गत, देशभर के 670 अधिनियमों के तहत 43,000 से अधिक अनुपालनों को कम किया गया है। इसके अतिरिक्त, ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा

देने के लिए, केंद्र सरकार ने जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2023 के जरिए 19 मंत्रालयों/विभागों के 42 विभिन्न केंद्रीय अधिनियमों के 183 प्रावधानों का गैर-अपराधीकरण किया है।

केंद्र सरकार ने वर्ष 2014 में व्यवसाय सुधार कार्य योजना (बीआरएपी) पहल की शुरुआत की। इसका उद्देश्य बाधाओं को कम करना और मंजूरी तथा विनियामक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता व दक्षता को बढ़ावा देना है ताकि इससे देश में व्यवसाय करने में लगने वाले समय और लागत को कम किया जा सके। राज्यों का मूल्यांकन साक्ष्य और उपयोगकर्ताओं के फीडबैक पर आधारित होता है, ताकि इससे राज्यों में सुधारों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके। अब तक, बीआरएपी के छह संस्करण (2015, 2016, 2017-2018, 2019, 2020 तथा 2022) पूरे कर लिए गए हैं और तदनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का आकलन किया गया है। वर्तमान में, बीआरएपी 2024 का सातवां संस्करण प्रक्रियाधीन है।

सरकार ने सितंबर, 2021 में राष्ट्रीय सिंगल विंडो प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) की भी शुरुआत की है, जो गर्वमेंट टु बिजनेस (जीटुबी) अनुमोदनों को सुविधाजनक बनाने और उद्योगजगत के लिए निवेश से संबंधित मंजूरियों हेतु एक वन-स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह जानकारी में एकरूपता लाते हुए जी2बी अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है और विभिन्न विभागों के पोर्टलों को बार-बार देखने की आवश्यकता को कम करता है। वर्तमान में, 32 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एनएसडब्ल्यूएस के साथ एकीकृत किया गया है, जिससे उन्हें 278 केंद्रीय जी2बी सेवाओं तथा 2977 राज्य जी2बी सेवाओं का एक्सेस प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त, अपने अनुमोदनों के बारे में जानें (केवाईए) मॉड्यूल भी 668 केंद्रीय जी2बी सेवाओं और 6806 राज्य जी2बी सेवाओं के लिए लाइव किया गया है, ताकि इससे व्यवसाय उद्यमों के लिए बाधारहित सुविधा और जानकारी प्रदान की जा सके।

केंद्र सरकार ने अक्तूबर, 2021 में पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टरप्लान (एनएमपी) की भी शुरुआत की है, जो अवसंरचना विकास के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है ताकि इससे लोगों और वस्तुओं की निर्बाध आवाजाही के लिए पहले और अंतिम छोर की मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो सके। पीएम गतिशक्ति को सहायता प्रदान करने के लिए, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति की भी शुरुआत की गई है ताकि इससे सेवा,

प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी को अपनाने, मानव संसाधन विकास और एकीकृत आयोजना की प्रक्रिया में दक्षता लाई जा सके।

(ग) और (घ): उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), इन पहलों का नेतृत्व करने वाला नोडल विभाग है। इन प्रयासों ने शुरुआत से ही सकारात्मक परिणाम दर्शाया है। विशेष रूप से भारत ने वर्ल्ड बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की रैंकिंग में महत्वपूर्ण सुधार किया है। भारत इस रिपोर्ट के बंद होने से पहले, वर्ष 2014 के 142वीं रैंकिंग से वर्ष 2019 में 63वीं रैंकिंग पर पहुंच गया। व्यवसाय सुधार कार्य योजना के तहत, डीपीआईआईटी और भी अधिक व्यवसाय-अनुकूल विनियामक फ्रेमवर्क तैयार करने, निवेश आकर्षित करने, आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने और समग्र व्यवसाय वातावरण को प्रोत्साहन देने पर ध्यानपूर्वक फोकस कर रहा है।

*****